न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/99 **दायरा दिनांक : 27.07.2021**

उनवान

बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल, जाति तेली, निवासी घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1– रतनलाल पुत्र देवलाल, जाति तेली
2– बद्रीलाल पुत्र देवलाल, जाति तेली
अकवाम निवासीगण ग्राम घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड
4– मन्नालाल पुत्र रूघनाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– मांगीलाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति लोढ़ा तंवर, कोटडी मजरा कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 29.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 02/दावा/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम घाटोली, तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 278 की खं. नं. 515 की 2.07 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के शामलाती खातेदारी की स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय अकलेरा ने अपने निर्णय एवं डिक्री 16.04.2019 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के मामले में अपीलांट का वाद कब्जे के मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री पारित नहीं की गयी, जबकि प्रारम्भिक डिक्री में स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 1/2 हिस्सा अपीलांट वादी का पृथक करने का आदेश तो पारित किया परंतु दिशा अंकित नहीं की ओर यही विवाद का कारण है, अपीलांट का विवादित

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी पर कब्जा सडक की तरफ वाली आराजी पर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलांट और रेस्पोडेंट के बीच विवादित आराजी का कई वर्षो से बंटवारा हो रहा है और उसी अनुसार अपीलांट सडक की तरफ वाली आराजी पर काबिज चला आ रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान ना देकर केवल मात्र रिकार्ड के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी है, जो अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.04.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी के नकल विकय पत्र 16 की प्रमाणित प्रति पेश की है और प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी के नकल विकय पत्र 16 की प्रमाणित प्रति पेश की है । पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. डी. 1998 (एच.सी.) पेज 143 की नजीर उद्धरत की।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.04.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट वादी द्वारा विवादित आराजी में से 1/2 भाग पृथक खाते दर्ज करने का वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में वादी अपीलांट को विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा पृथक दर्ज करने के आदेश दिये।

(ममता कुमारी तिवारी)
पू.अ. अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील मेमों में अपीलांट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में अपीलांट को सड़क की तरफ वाली आराजी का विभाजन वादी के पक्ष में नहीं कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रिकॉर्ड के आधार पर विभाजन का निर्णय पारित कर त्रुटि की है।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के आधार पर उचित निर्णय दिया है। वादी अपीलांट द्वारा अपील मीमों में वादपत्र से अलग तथ्यों का वर्णन किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलांट वाद पत्र के अपने कथनों से वाध्य है। रेस्पोडेंट की नजीर आर.आर.डी. 1998 (एच.सी.) पेज 143 से पूर्णतया सहमत हैं कि न्यायालय पक्षकारों की प्लीडिंग से परे नहीं जा सकता। अतः अपील मीमों के कथन वाद पत्र से भिन्न होने से अपील सारहीन प्रकट होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल, जाति तेली, निवासी घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

बनाम

.....अपीलान्ट्स

1– रतनलाल पुत्र देवलाल, जाति तेली
2– बद्रीलाल पुत्र देवलाल, जाति तेली
अकवाम निवासीगण ग्राम घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
3– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड
4– मन्नालाल पुत्र रूघनाथ, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी महुआखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– मांगीलाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति लोढ़ा तंवर, कोटडी मजरा कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.....रेस्पोर्डेटस

अपील नं. 2021/99
मु.द.नं0 02/दावा/2021

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
निर्णय व डिक्री दिनांक – 16.04.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 23 माह 07 सन् 2024

हाजरी **श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री अरूण कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 29 माह 07 सन् 2024 को जारी किया गया ।

29/7/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)